125 350

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा, जिला रीवाम0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक

Rs 30/-

ग्रा/ निग0/ सिंगरौली / भू0रा0/2017/2397

रेवती रमण चतुर्वेदी पिता रतन कुमार चतुर्वेदी निवासी ग्राम

खडौरा तहसील देवसर जिला सिगरौली म0प्र0 ------आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन -------- -------- गैरनिगराकार

निगरानीविरुद्ध आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी

महोदय देवसर जिला सिगरौली के राजस्व

अपील प्रकरण क्रमांक 140/ अपील/12-13

मेपारित आदेशदिनांक 27-6-17

निगरानी म0प्र0 कृषि प्रयोजन केलिये

उपयोगकीजारहीदखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी

अधिकारों का प्रदान कियाजाना विशेष उपबन्ध:

अधिनियम 1984के तहत।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि

:क: ग्राम खडौरा स्थित खसरा क्रमांक 726रकबा0-19है0 730

रकबा0-10है0 किता 2 योग 0-29है0पर विशेष उपबन्ध

अधिनियम अक्टूबरसन 1984 के तहत भूमिस्वामी घोषित

किये जाने का आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय तहसीलदेवसर

(125)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/सिंगरौली/भू–रा0/2017/2397 जिला–सिंगरौली

रेवती रमण चतुर्वेदी/ म0प्र0शासन

(1)	(2)	(3)
05.08.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 140/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (महेश चन्द्र चौधरी), सदस्य	